

## अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
पदमदान पुत्र मंगलदान कोम चारण निवासी आरंग तहसील शिव, वाडमेर वगैरा (2)		सूरदान पुत्र मंगलदान कोम चारण निवासी आरंग तहसील शिव जिला वाडमेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53,188 )

मुकदमा नम्बर 80/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.07.2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री वृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 03.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
03.09.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता डा. पूर्व के प्रतिवादीगण के नोटिस व डिप्लोमा रिपोर्ट पेश की, जिसे आज शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इन्तजार होकर आईन्दा दिनांक 22.11.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
22.11.21	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के कैम्प बमुकाम... में पेश हुई। उभयपक्ष अनु। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 09.03.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
09.03.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण बाबजूद नोटिस तामिली अनुपस्थित। अल प्रतिवादी सर्टल 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जारी है। पत्रावली वास्ते वादी खास्य आईन्दा दिनांक 31.03.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम जा  
हुकम की ताम  
में जारी हुए

सेवा


23.5.25

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होगी।  
कारण इतना होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 05.06.25 को पेश हो।

05.06.25

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित।  
शिव से प्राप्त विभाजन अस्ताव  
का अवलोकन किया गया। यूनि 102  
रिपोर्ट अनुसूचित विवरित आगामी का  
पक्षकारान् के मध्य सहमति बंटवारा  
हो चुका है। पक्षकारान् के मध्य  
आपसी सहमति बंटवारा होने से वादी  
द्वारा याहा जमा अनुलोष इसे प्राप्त  
हो चुका है तथा पत्रावली में अग्रिम  
कार्यवाही शेष नहीं है। अतः उक्त  
वाद में याहा जमा अनुलोष वादी  
को जल्द सहमति बंटवारा प्राप्त  
हो जाने तथा उक्त वाद का कोई  
प्रश्नविल नहीं होने से वाद हली  
स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम लोग  
हाजिर दफ्तर है।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव

